संख्या- 06/2023/DFA/507212/38-7099(99)/30/2023

प्रेषक,

सुखलाल भारती,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।
2.समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः 24 जुलाई, 2023

विषयः- मनरेगा योजनान्तर्गत महिला मेट की तैनाती/चयन के संबंध में।

http://shasanadesh.up.gov.in

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-08/2021/290/अड़तीस-7-2021-08नरेगा/2021 दिनांक 08.03.2021 एवं शासनादेश संख्या-18/2021/833/ अड़तीस-7-2021-10नरेगा/2021 दिनांक 17.06.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त संदर्भित शासनादेशों में से शासनादेश दिनांक 17.06.2021 के द्वारा शासनादेश दिनांक 08-03-2021 में महिला मेट के चयन व तैनाती के सम्बन्ध में पैरा-2.3, 3.1 व 5.1 में अंकित निर्देशों को संशोधित करते हुए यह निर्देशित किया गया है कि स्वयं सहायता समूह की महिला, जिसका नाम उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, उन्हें मनरेगा कार्यों पर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मेट के रूप में कार्य दिलाने की कार्यवाही की जाएगी।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मनरेगा योजनान्तर्गत महिला मेटों के चयन में अण्डरप्रीविलेज वर्ग का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुखलाल भारती
विशेष सचिव।

संख्या- 06 /2023/DFA/507212/38-7099(99)/30/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 सरकार।
3. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
4. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, सिंचाई, लघु सिंचाई, कृषि, भूमि विकास एवं जल संसाधन, वन विभाग, लोक निर्माण, रेशम, मत्स्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग,उ0प्र0 शासन।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
6. अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त उपायुक्त, श्रम रोजगार/परियोजना निदेशक, उ0प्र0।
9. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

सुखलाल भारती
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in